न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/32

1. रेन्जर क्षेत्रीय वन अधिकारी, तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. डी.एफ.ओ जिला वन अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी ।
3. भूमिधारी जरिये तहसीलदार नैनवा जिला बून्दी ।
4. राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश महोदय, बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

मांगी लाल आयु 75 वर्ष आत्मज गोपी जाति बलाई निवासी मुण्डली तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री रामबाबू मालव, राजकीय अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 28.09.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.06.2015 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188, 183, 88 एवं 89 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सादेहा तहसील नैनवा जिला बून्दी में खाता संख्या नया 197 की आराजी खसरा नम्बर 538/836 रकबा 05 बीघा भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादी के गैर खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है जिस पर वादी का वर्षों से शांतिपूर्वक ढंग से कब्जा काश्त चला आ रहा है । प्रतिवादीगण ने दिनांक 02.01.2014 को वादग्रस्त आराजी के चारों तरफ मिट्टी का डोल लगार जबरदस्ती भूमि पर कब्जा करके वादी को भूमि से बेदखल कर दिया तथा वादी के खेती काश्त करने में रूकावट पैदा करने की धमकियॉ देने लगे हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है ।

3. अतः वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी से प्रतिवादीगण को बेदखल कर वादी को वापस कब्जा दिलाया जावे तथा भूमि पर लगाये गये मिट्टी के डोल को हटावाकर नष्ट–भ्रष्ट करवाया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह वादी के खेती काश्त में रूकावट

पैदा नहीं करे । वादी को वादग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा वादी को 10,000/– रूपये के हिसाब से प्रतिवादीगण से मुआवजा दिलवाया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.06.2015 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार करते हुए दावा वादी डिक्री कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.06.2015 से व्यथित होकर प्रतिवादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में उक्त वाद जवाबदावा हेतु विचाराधीन था । माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सीपीसी के प्रावधानों की अवहेलना करते हुए अपीलान्टगण को जवाबदावा प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री पारित कर दी जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.06.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील मीमो के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्टगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की कोई जानकारी प्राप्त नहीं थी । उक्त निर्णय एवं डिक्री की जानकारी प्राप्त होते ही नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए निर्णित कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली जवाब एवं तलबी में लम्बित थी और इसे लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में पक्षकारान द्वारा कोई राजीनामा पेश नहीं किया गया है फिर भी उसी दिन दावा वादी डिक्री किया है । वादग्रस्त आराजी पर वादी रेस्पोडेन्ट का कभी कब्जा नहीं रहा है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.06.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वह उचित प्रतीत होते हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

10. अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली जवाब एवं तलबी में लम्बित थी और इसे लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में पक्षकारान द्वारा कोई राजीनामा पेश नहीं किया गया है फिर भी उसी दिन दावा वादी डिक्री किया है । अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकारान ने कोई विधिक राजीनामा पेश नहीं किया है इसके अभाव में अधीनस्थ न्यायालय को सीपीसी की पालना करते हुए निर्णय पारित किया जाना चाहिए था । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है ।

11. पत्रावली में जो राजस्व रिकॉर्ड पेश किया गया है उसमें वादी रेस्पोडेन्ट गैर खातेदार दर्ज है । ऐसी स्थिति में यह जॉच किया जाना भी आवश्यक है कि वादी रेस्पोडेन्ट को सन् 1983 में आवंटन के उपरात गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार किन परिस्थितियों में नहीं दिये गये । हम इस प्रकरण को प्रतिवादी अपीलान्ट से जवाबदावा प्राप्त कर सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.06.2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह प्रतिवादी अपीलान्ट से जवाबदावा प्राप्त कर दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए नये सिरे से गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 12.11.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

13. निर्णय आज दिनांक 28.09.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

28.9.18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा